

कार्यालय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ ।

ठेका / नीलामी सूचना-VI

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 7580/Admin.(B-II) Section: Allahabad dated May 30th, 2026 के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 01.07.2026 के अनुपालन में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि **दिनांक 16.07.2026 से 31.03.2027 हेतु, न्यूनतम आरक्षित बोली रु० 70,400/-** पर, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के मुख्यालय परिसर स्थित **01 चाय-कैटीन (दुकान सं० 08)** के ठेका की पुनः नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से दिनांक 15.07.2026 को समय अपराह्न 03:00 बजे तक **केन्द्रीय नजार्त, जनपद न्यायालय, अलीगढ़** के पते पर **रजिस्टर्ड डाक/स्वयं द्वारा** जमा करने हेतु **सीलबंद लिफाफे में निविदा** आमंत्रित की जाती हैं ।

माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 20.03.2026 से स्वीकृत नीलामी समिति के कार्यवृत्त दिनांकित 19.03.2026 में उल्लिखित शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी । उक्त नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तों की अधिक जानकारी मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकृत वेबसाइट <https://www.allahabadhighcourt.in>, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ की अधिकृत वेबसाइट <https://aligarh.dcourts.gov.in> एवं शासकीय वेबसाइट <https://aligarh.nic.in> से व केन्द्रीय नजार्त, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है ।

दिनांक:- 01.07.2026

(राकेश वशिष्ठ)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)

अलीगढ़ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. श्रीमान नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर्स को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति/सूचना को जिला न्यायालय, अलीगढ़ एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
3. श्रीमान सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 02 समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
4. श्रीमान जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति/सूचना को <https://aligarh.nic.in> की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
5. जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
6. बाह्य न्यायालयों एवं ग्राम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
7. सिविल व फौजदारी बार एसोशियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
8. कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
9. नगर निगम, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
10. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
11. जिला पंचायत, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

(राकेश वशिष्ठ)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)

अलीगढ़ ।

जनपद न्यायालय अलीगढ़ के मुख्यालय परिसर में स्थित दुकानों के ठेका की वार्षिक नीलामी (2026-27) किये जाने हेतु नीलामी समिति की बैठक दिनांकित 19.03.2026 का कार्यवृत्त ।

जनपद न्यायालय अलीगढ़ के मुख्यालय परिसर में स्थित दुकानों के ठेका की वार्षिक नीलामी (2026-27) किये जाने के सम्बन्ध में आज दिनांक 19.03.2026 को अपराह्न 01:30 बजे नीलामी समिति की बैठक मेरे विश्राम कक्ष में आहूत की गयी । बैठक में समिति के सदस्यगण श्री रवीश कुमार अत्री, अपर जिला जज, कोर्ट सं०-05, अलीगढ़ एवं श्री विजय चौधरी, सिविल जज (क०प्र०), हवाली अलीगढ़ उपस्थित आये । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय नाजिर मय अभिलेख उपस्थित रहे ।

समिति द्वारा प्रभारी अधिकारी नजारत के पत्र दिनांकित 16.03.2026 पर मा० जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 17.03.2026 पर विचार-विमर्श किया गया । उक्त पत्र में दिये गये विवरणानुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के मुख्यालय परिसर में स्थित दुकानों के ठेका की वार्षिक नीलामी की कार्यवाही दिनांक 24.03.2025 को सम्पन्न की गयी थी । उक्त नीलामी में जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के मुख्यालय परिसर में एक चाय-कैंटीन, एक फल-चाट की दुकान, पाँच फोटोस्टेट मशीन की दुकान, एक फोटोग्राफी की दुकान एवं एक चना-चबैना की दुकान के ठेका की नीलामी मा० जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 24.03.2025 के अनुपालन में उच्चतम बोलीकर्ता के पक्ष में आवंटित की गयी थी । कार्यालय अभिलेखानुसार जिराका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

दुकान सं.	दुकान का विवरण	आवंटी का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ठेका की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु ठेका की आरक्षित धनराशि
1.	फोटोस्टेट, मुख्य भवन	श्रीमती शिखा सक्सैना	₹ 1,29,000/-	₹ 1,41,900/-
2.	फोटोस्टेट, निकट मजिस्ट्रेट भवन	श्री महेन्द्र सिंह	₹ 2,20,000/-	₹ 2,42,000/-
3.	फोटोस्टेट, निकट त्वरित न्यायालय भवन	श्री नरेन्द्र कुमार	₹ 1,75,000/-	₹ 1,92,500/-
4.	फोटोस्टेट, निकट मुख्य भवन, रजिस्ट्री ऑफिस के पारा	श्री शशि कान्त पाल	₹ 2,50,000/-	₹ 2,75,000/-
5.	फोटोस्टेट, पुस्तकालय भवन	श्री राहुल सक्सैना	₹ 1,80,000/-	₹ 1,98,000/-
6.	फल-चाँट, निकट सिविल बार	श्री मौ० रहीस	₹ 1,02,000/-	₹ 1,12,200/-
7.	फोटोग्राफी, गेट नं० 2 चौराहा	श्री अफरोज़ आलम	₹ 1,67,000/-	₹ 1,83,700/-
8.	चाय-कैंटीन, निकट मजिस्ट्रेट भवन पोर्टिको	श्री रवि सैनी	₹ 95,000/-	₹ 1,04,500/-
9.	चना-चबैना, गेट नं० 2 चौराहा	श्री मौ० हसन	₹ 61,000/-	₹ 67,100/-

वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्ति के निकट होने के कारण आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु उक्त दुकानों के ठेका की वार्षिक नीलामी की प्रक्रिया अगल में लायी जानी है ।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये दुकानों के ठेका की नीलामी हेतु नियम व शर्तें प्रस्तावित की जा रही हैं ।

दुकान/ठेका नीलामी वर्ष 2026-27 के लिए नियम व शर्तें :-

- 1- यह दुकान/ठेका की नीलामी दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक के लिए वैध होगी ।
- 2- दुकान/ठेका की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 27.03.2026 को सायं 04:30 बजे जनपद न्यायालय, अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार में सम्पादित होगी ।
- 3- सम्बन्धित ठेका/दुकान की पिछले वर्ष हेतु स्वीकृत ठेका धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही ठेका/दुकान की इस वर्ष नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि होगी ।

4- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना **हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व फोटो स्वप्रमाणित** करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे सम्बन्धित **मूल प्रपत्र** भी गिलान के लिए दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

5- नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियों को पूर्व में परिसर में कोई भी दुकान/ठेका आवंटित किया गया था, उससे सम्बन्धित कोई भी **धनराशि अवशेष** होने की दशा में उन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किसी भी दुकान/ठेका की नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

6- ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत **रुपये 30,000/- (तीस हजार मात्र)** की धनराशि **डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से** जमा करनी होगी। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं आवंटित होता है, तो जमानत धनराशि **का डिमाण्ड ड्राफ्ट** उस व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा।

7- नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ को होगा।

8- माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है। **किसी भी दशा में प्रत्येक दुकान/ठेके की नीलामी राशि वर्ष 2025-26 की नीलामी राशि से 10 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम स्वीकार नहीं की जायेगी।**

9- जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, वह नियत प्रारूप पर एक संविदा **सौ रुपये के स्टाम्प पेपर** पर निष्पादित करेगा।

10- आवंटी को ठेके की राशि का भुगतान निम्न रूप से करना होगा :-

(क) नीलामी प्रक्रिया में आवेदन करने हेतु जमानत धनराशि रुपये 30,000/- का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट '**District Judge, Aligarh**' के पक्ष में देय होगा, अन्य किसी माध्यम से जमानत धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ख) कुल स्वीकृत बोली की **25 प्रतिशत धनराशि (जमानत धनराशि को छोड़कर)** ठेका आवंटन की तिथि से **अन्दर 02 दिवस** में जमा करनी होगी।

(ग) आवंटन पश्चात कुल **अवशेष धनराशि** अधिकतम **दो किस्तों** में दिनांक **31 दिसम्बर, 2026** तक प्रत्येक दशा में जमा करनी होगी।

11- आवंटी किसी भी दशा में उसे आवंटित दुकान/ठेके को किसी अन्य को **न ही स्थानान्तरित** कर सकता है और **न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर** दे सकता है।

12- प्रत्येक आवंटी/दुकानदार अपनी दुकान ठेके में उन्हीं वस्तुओं की बिक्री अथवा ठेके का संचालन करेगा, जिसके निमित्त उसे दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, किसी भी आवंटी/दुकानदार को अपने हॉकर द्वारा न्यायालय परिसर में घूम-घूम कर सामानों की बिक्री कराये जाने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

19/03/26

19/3/26

13- प्रत्येक आवंटी/दुकान को न्यायालय परिसर में जिस स्थान विशेष पर अथवा जितने क्षेत्रफल पर दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, उसे उतने क्षेत्रफल एवं उसी स्थिति में ही अपनी दुकान/ठेकों को चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। आवंटी को अपनी दुकान/ठेके के स्थल की साफ सफाई भी स्वयं रखनी होगी एवं कूड़ेदान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेका आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। **यदि आवंटी किसी सहायक को रखकर अपना काम कराता है तो उसका आधार कार्ड की छायाप्रति पहचान पत्र के तौर पर जमा करेगा।**

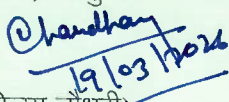
14- वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित दुकानों/ठेकों का आवंटन दिनांक 31.03.2027 को स्वमेव समाप्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि के पूर्व भी माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटन प्राप्तकर्ता प्रत्येक आवंटी/दुकानदार द्वारा अपने अपने ठेके को चलाने के लिए प्राप्त आवंटित स्थल पर यदि कोई निर्माण कार्य आवश्यक हो तो जिला न्यायाधीश महोदय से पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे जो कि पूर्णतया अस्थाई होगा एवं उसे वह दिनांक 31.03.2027 तक आवंटित अवधि के पश्चात् उक्त स्थल से अपने व्यय से हटा लेगा। यदि आवंटियों द्वारा किसी भी प्रकार से विद्युत का उपभोग उनके कार्य के लिए आवश्यक है तो सम्बन्धित आवंटी ही अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेगा। आवंटी किसी भी दशा में परिसर में आपूर्ति की जा रही सरकारी विद्युत का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेके का आवंटन माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

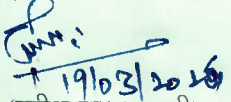
15- आवंटी द्वारा सरकार/नगर निगम/अन्य स्थानीय निकायों को देय किसी भी कर/फीस/व्यय का भार स्वयं वहन किया जाएगा। इस हेतु न्यायिक प्रतिष्ठान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16- ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जिला अलीगढ़ होगा।

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि **वित्तीय वर्ष 2026-27** हेतु जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के मुख्यालय परिसर में **एक चाय-कैंटीन, एक फल-चाट की दुकान, पाँच फोटोस्टेट मशीन की दुकान, एक फोटोग्राफी की दुकान एवं एक चना-चबैना की दुकान** के ठेका की नीलागी का व्यापक प्रचार-प्रसार मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट, समस्त राजकीय विभागों के सूचना पटल के माध्यम से तथा कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन करा कर किया जाये।

तदनुसार, आज दिनांक 19.03.2026 का कार्यवृत्त माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है।


(विजय चौधरी)
सादरय, क्रय समिति /
सिविल जज (क०प्र०), हवाली
अलीगढ़।


(रवीश कुमार अत्री)
सादरय, क्रय समिति /
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-05
अलीगढ़।


(संजय कुमार यादव-1)
अध्यक्ष, क्रय समिति /
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)
अलीगढ़।

Approved


Dist. & Sess's Judge
ALIGARH
20/3/2026